

प्रार्थी
इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय गुप्ता जिसका शाखा कार्यालय स्वाती पैलेस, पहली मंजिल, पुराने सरकारी अस्पताल के पास, पालोडी बस स्टेण्ड, नागौर-341001 (राज.) में स्थित व कार्यरत है तथा पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 15, 6th फ्लोर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 है।

बनाम**अप्रार्थीगण**

- श्रीमति संतोष कंवर पत्नी गिरधारी सिंह निवासी मकान नम्बर 384 भाटियों की ढाणी, छापडा तहसील जायल जिला नागौर 341001 राज. वगैरह

किस्म मुकदमा -सिखोरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या 303 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
20.09.2022	<p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदे । प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 19/10/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p> <p>वकील प्रार्थी अपन वकील प्रार्थी ने दस्तगत प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते का कथन करते हुए Not pressed किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तगत प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा Not pressed करने के आधार पर स्वाश्जि किया जाता है। आदेश सुनवाई पत्रावली के लिये शुमार होकर दारिद्र्य दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(पीयूष समारिया) कलक्टर, नागौर</p>	<p>19/10/22</p> <p>Not pressed Vantary</p>